संख्या-56/2017/1723/24-1-17-3994/2015

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक अगस्त, 2017**

विषयः- वर्ष 2017-18 में भारत सरकार की राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 से प्राप्त धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-277/मु0म0प्र0(वित्त)/विप्र-1/आरजीजीवाई/304/2017-18, दिनांक 25 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली से किये गये त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम लि0 (परिवर्तित नाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0) में अंशपूँजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 3735,19,58,000/- (रूपये सैंतीस सौ पैंतीस करोड़ उन्नीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3364,02,72,417/- (रूपये तैंतीस सौ चौंसठ करोड़ दो लाख बहत्तर हजार चार सौ सत्रह मात्र) में से धनराशि रूपये 169,90,71,312/- (रूपये एक सौ उनहत्तर करोड़ नब्बें लाख इकहत्तर हजार तीन सौ बारह मात्र) पुस्तक समायोजन के माध्यम से इतनी ही धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

क्रम सं0	**निगम का नाम**	**अवमुक्त धनराशि (रूपये में)**		
		ऋण	**अनुदान**	**योग**
1	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।	26667921	213253585	239921506
2	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ	18810104	148955664	167765768
3	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।	7852349	---	7852349
4	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।	35130910	147399750	182530660

http://shasanadesh.upnic.in

5	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।	---	58296167	58296167
6	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।	---	161965335	161965335
7	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।	61224932	342287245	403512177
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।	4127138	37144238	41271376
8	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।	76483823	359472151	435955974
	योग-	**230297177**	**1468774135**	**1699071312**

2- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इस स्वीकृत धनराशि का आहरण नगद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 169,90,71,312/- (रूपये एक सौ उनहत्तर करोड़ नब्बें लाख इकहत्तर हजार तीन सौ बारह मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय-06- ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03- त्वरित ग्रामीण विद्वतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन (के0-100)-30- निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 द्वारा अवमुक्त रूपये 169,90,71,312/- (रूपये एक सौ उनहत्तर करोड़ नब्बें लाख इकहत्तर हजार तीन सौ बारह मात्र) में से धनराशि रूपये 146,87,74,135/- (रूपये एक सौ छियालिस करोड़ सत्तासी लाख चौहत्तर हजार एक सौ पैंतीस मात्र) को लेखाशीर्षक" 0801- बिजली-06- ग्रामीण विद्युतीकरण-800-अन्य प्राप्तियॉ-01- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्तियॉ तथा अवशेष रूपये 23,02,97,177/- (रूपये तेईस करोड़ दो लाख सत्तान्नबें हजार एक सौ

http://shasanadesh.up.nic.in

सतहत्तर मात्र)" लेखाशीर्षक" 6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-109- अन्य संस्थाओं से कर्ज-09-ऊर्जा विभाग-0902- ग्रामीण विद्वुतीकरण निगम से कर्ज के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-यू0ओ0- 110 -दस-2017, दिनांक 09 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 56 /2017/1723(1)/24-1-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

डा0 संजीव भारद्वाज
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in